



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 05 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि आकाश पुत्र दामोदर सिंह व दामोदर पुत्र स्व० मोहन लाल निवासी बिजली घर नं०-04 के पीछे थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा कालिन्दी कुंज निवासी विपिन व उसके पिता नेत्रपाल पर जान से मारने की नियत से फायर कर नेत्रपाल की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 09.10.2020 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-997/2020 धारा 302,34,307 भादवि पजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.12.2020 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 05.09.2024 को न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार सचान (मा० न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आकाश व दामोदर को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर